न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **43/2023** अपील (राजस्व)

GCMS No. 2023/70

नाथु पिता भेरा गाडरी निवासीः मुण्डोल, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
विरूद्ध निर्णय तहसलीदार वल्लभनगर प्रकरण संख्या 460/2017
निर्णय दिनांक 12.10.2017

उपस्थित : श्री विजय कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 20/05/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 460/2017 निर्णय दिनांक 12.10.2017 से नाराज होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पटवार हल्का गोटिपा के ग्राम मुण्डोल की आराजी संख्या 283 मी. पर फसल बोकर नाजायज कब्जा किया है, अतिक्रमी घोषित कर, अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाकर लगान 2.00 का 50 गुणा से 100/– रुपये शास्ति आरोपित किये जाने के आदेश दिये गये है। उक्त आदेश से व्यथीत होकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.10.2017 बमुकदमा नंबर 460/2017 नाजायज कब्जा निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

जिला कलक्टर
उदयपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना शहादत सबूत, पेश करने का पर्याप्त अवसर दिये, एवं बिना सुने कथित निर्णय देने में भारी भूल की है। अपीलाण्ट का पुराना कब्जा हो अपीलाण्ट की ओर से लगान भी समय–समय पर जमा कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि अपीलाण्ट की आराजी नंबर 283मी. रकबा 2 बीघा बिलानाम जमीन पर कब्जा है गलत है। अपीलाण्ट का जिस भूमि पर कब्जा हो काश्त कर रहा है वह भूमि उसके द्वारा दिनांक 19.12.2002 को माधूसिंह पिता गोकल सिंह राजपूत निवासी मुण्डोल से 25,000/– रुपये में खरीद की गई। तब से उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि की उपज से ही अपीलाण्ट के परिवार का पालन–पोषण हो रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय की आड में अपीलाण्ट को बेकब्जा कर दिया जाता है तो अपीलाण्ट एवं उसके परिवार को भूखों मरने की नौबत पैदा हो जावेगी और अपीलाण्ट को अपनी खरीदशुदा भूमि से मेहरूम होना पड़ जावेगा। तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अंतर्गत नोटिस दिनांक 03.10.2017 को जारी किया गया। उक्त नोटिस में अपीलाण्ट को दिनांक 12.10.2017 को उक्त भूमि को खाली करने या स्वयं द्वारा या प्लीडर द्वारा मुकाम वल्लभनगर में उपस्थित होने की सूचना दी गई थी। उक्त सूचना की पालना में अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ। इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पूर्व में ही टाईप किया हुआ था और उसमें केवल मात्र कुछ जगह खाली छोडी गई थी, उन जगहों को भरकर निर्णय पारित किया गया है। साथ ही, उक्त निर्णय में निर्णय तारीख भी अंकित नहीं है। अपीलाण्ट को जवाब पेश करने का भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने की तारिख से लेकर निर्णय सुनाने में केवल मात्र 10 दिन के अंतर से प्रतीत होता है कि पक्षकार को नोटिस देना महज एक औपचारिकता थी और नोटिस ही निर्णय था। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के अनुसार पक्षकारान को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.10.2017 की जानकारी अपीलाण्ट को हाल में हुई जब उक्त आदेश की पालना कराये जाने बाबत् पटवारी हल्का द्वारा

जिला कलक्टर
उदयपुर

कार्यवाही शुरू की गई। जानकारी होते ही अविलम्ब यह अपील पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.10.2017 बमुकदमा नंबर 460/2017 नाजायज कब्जा निरस्त फ़रमाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

उपस्थित अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि ग्राम मुण्डोल के आराजी संख्या 283मी. रकबा 2 बीघा बिलानाम भूमि पर अपीलाण्ट नाथु पिता भेरा गाड़री द्वारा अतिक्रमण किए जाने से नियमानुसार अतिक्रमी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किए जाकर दिनांक 12.10.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई। अपीलाण्ट द्वारा पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है जिससे ये प्रतीत हो कि अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि दिनांक 19.12.2002 को माधूसिंह पिता गोकल सिंह राजपूत से क्रय की गई हो। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में कोई अभिलेख पत्रावली के साथ प्रस्तुत नही किया है अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार वल्लभनगर के प्र.स. 460/17 ना.क. आदेश दिनांक 12.10.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाण्ट ने उक्त भूमि दिनांकं 19.12.2002 को माधूसिंह पिता गोकल सिंह निवासी मुण्डोल से क्रय की थी परन्तु सरकारी भूमि का निजी व्यक्तियों द्वारा क्रय विक्रय करना शून्य (void ab initio) माना जायेगा। कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज भी नहीं है एवं किसी आराजी संख्या का अंकन भी नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलाण्ट ने कौनसी भूमि माधुसिंह से दिनांक 19.12.2002 को क्रय की थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधिवत रूप से दिनांक 03.10.2017 को सूचना पत्र जारी किये जाकर दिनांक 12.10.2017 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विवादित अपीलीय आदेश दिनांक 12.10.2017 को पारित किया गया और अपील दिनांक 06.07.2023 को प्रस्तुत की गई, यानि कि लगभग 6 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई। कानूनन विलम्ब की स्थिति में प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के कारणों का कोई ठोस, सुसंगत एवं प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 43/23 राजस्व
नाथु बनाम सरकार
GCMS No. 2023/70

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट मयाद बाहर होने व सारहीन होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार वल्लभनगर को निर्णय की प्रति इन निर्देशों के साथ प्रेषित की जाती है कि अपने बेदखली आदेश दिनांक 12.10.2017 की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि केवल बिलानाम भूमि से अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखली की जावे। अपीलार्थी की निजी खातेदारी को प्रभावित नहीं किया जाये।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार वल्लभनगर को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर,
उदयपुर